देश
07/16/2025 Page 1 Crop
ग करेगा इस्कॉन | मास्टरकार्ड और यू ग्रो कैपिटल ने मिलाया हाथ | भारतीय टीम ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैम्पियनशिप में चार स्वर्ण सहित कुल नौ पदक जीते

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
निष्पक्ष दिव्य संदेश

त का ताजा बयान और मोदी के कदम का अनुमान

मंडला मर्डर्स में काम करना शानदार अनुभव : वाणी कपू

09 ● अंक 117 ● लखनऊ ● बुधवार 16 जुलाई 2025 ● मूल्य- तीन रुपए ● पृष्ठ-8 ● www.divyasandesh.com (ई-पेपर) ● www.divyasandesh.in (वेबपोर्टल)

स्प्री–2025 योजना पर सेमिनार संपन्न

एनडीएस संवाददाता

नई दिल्ली। उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दिल्ली एवं ओखला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से एसोसिएशन के परिसर ओखला दिल्ली में स्प्री-2025 योजना और ईएसआईसी के बारे में जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में उप क्षेत्रीय कार्यालय के गुरप्रीत सिंह (सहायक निदेशक), अतुल राठी (सहायक निदेशक) एवं कामता प्रसाद, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी व अमित कुमार तथा ओखला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील गल्होत्रा व महासचिव वाई सी जैन प्रमुख रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर ईएसआईसी, उप क्षेत्रीय कार्यालय ओखला के गुरप्रीत सिंह, सहायक निदेशक ने कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों के मालिकों, एच आर एवं लाभार्थियों को ईएसआई की नवीनम स्प्री-2025 योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों डॉ. मनसुख मांडविया केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा अनुमोदित स्प्री-2025 योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 1 जुलाई से 31 दिसम्बर, 2025 लागू की गई। इस योजना के तहत जो भी अपंजीकृत प्रतिष्ठान पंजीकृत किए जाएंगे वे पूर्णतः निरीक्षण और पूर्व देनदारियों से मुक्त होंगे। ऐसे प्रतिष्ठानों से पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई निरीक्षण या पिछले रिकॉर्ड की मांग नहीं मांगा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह योजना ऐसे अपंजीकृत प्रतिष्ठानों जैसे -औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल और रेस्टोरेंट, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल एवं क्लीनिक, नगर निगमों के ठेका/कैजुअल कर्मचारी, दुकानें व शोरूम, सिनेमा हॉल, अखबार व मीडिया संस्थान, निजी स्कूल व कॉलेज, ठेके पर, अस्थायी और दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले इत्यादि के लिए आरंभ की गई, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी या श्रमिक कार्यरत हैं। वे अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा तथा एमसीए पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं। उप क्षेत्रीय कार्यालय ओखला के अतुल राठी, सहायक निदेशक ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीमांकित व्यक्ति और उनके आश्रितजन चिकित्सा हितलाभ, मातृत्व हितलाभ, अपंगता हितलाभ, बीमारी हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ, अंत्येष्टि व्यय, राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना इत्यादि का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर ईएसआईसी के कामता प्रसाद सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, अमित कुमार एवं ओखला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राजेन्द्र छाबरा, रंजीत शर्मा (मेगा बिग बी एक्सपोर्ट), एस सी पाठक (जे पी आर स्पोर्ट), राजेश शर्मा (एसएलसीआई), नरेन्द्र नैनावत (माईलाइफ इन कलर डिजाइन), प्रहलाद सिंह आदि अन्य कर्मचारी एव अधिकारी मौजूद थे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं ओखला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से स्प्री-2025 योजना पर सेमिनार संपन्न

तिजारत संवाददाता

ई दिल्ली। उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी बीमा निगम, दिल्ली एवं ओखला ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से सिएशन के परिसर ओखला दिल्ली में स्प्री-5 योजना और ईएसआईसी के बारे में रूकता कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस क्रम में उप क्षेत्रीय कार्यालय के गुरप्रीत (सहायक निदेशक), अतुल राठी ायक निदेशक) एवं कामता प्रसाद, जिक सुरक्षा अधिकारी व अमित कुमार ओखला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ल मल्होत्रा व महासचिव वाई सी जैन ष्ठ रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर आईसी, उप क्षेत्रीय कार्यालय ओखला के त सिंह, सहायक निदेशक ने कार्यक्रम में थत विभिन्न प्रतिष्ठानों के मालिकों, एच एवं लाभार्थियों को ईएसआई की नवीनम 2025 योजना के बारे में विस्तार से

जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों डॉ. मनसुख मांडविया केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा अनुमोदित स्प्री-2025 योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 1 जुलाई से 31 दिसम्बर, 2025 लागू की गई। इस योजना के तहत जो भी अपंजीकृत प्रतिष्ठान पंजीकृत किए जाएंगे वे पूर्णतः निरीक्षण और पूर्व देनदारियों से मुक्त होंगे। ऐसे प्रतिष्ठानों से पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई निरीक्षण या पिछले रिकॉर्ड की मांग नहीं मांगा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह योजना ऐसे अपंजीकृत प्रतिष्ठानों जैसे -औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल और रेस्टोरेंट, रोड मोटर ट्रांस्पोर्ट प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल एवं क्लीनिक, नगर निगमों के ठेकाध्कैजुअल कर्मचारी, दुकानें व शोरूम, सिनेमा हॉल, अखबार व मीडिया संस्थान, निजी स्कूल व कॉलेज, ठेके पर, अस्थायी और दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले इत्यादि के लिए आरंभ की गई, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी या श्रमिक कार्यरत हैं। वे अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा तथा एमसीए पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं। उप क्षेत्रीय कार्यालय ओखला के अतुल राठी, सहायक निदेशक ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीमांकित व्यक्ति और उनके आश्रितजन चिकित्सा हितलाभ, मातृत्व हितलाभ, अपंगता हितलाभ, बीमारी हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ, अंत्येष्टि व्यय, राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना इत्यादि का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर ईएसआईसी के कामता प्रसाद सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, अमित कुमार एवं ओखला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राजेन्द्र छाबरा, रंजीत शर्मा (मेगा बिग बी एक्सपोर्ट), एस सी पाठक (जे पी आर स्पोर्ट), राजेश शर्मा (एसएलसीआई), नरेन्द्र नैनावत (माईलाइफ इन कलर डिजाइन), प्रहलाद सिंह आदि अन्य कर्मचारी एव अधिकारी मौजूद थे।

OVIYAN COMMUNICATIONS
SOCIAL MEDIA PROMOTION
DIGITAL MARKETING
GET STARTED
www.oviyancommunications.com
More Information
+91 92102 22666
Email: oviyancommunications@gmail.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
टाउनहॉल टाइम्स
www.townhalltimes.com
नई दिल्ली से प्रकाशित

अपने क्षेत्र से जुड़ी खबरें भेजने के लिए हमें
9910635094
पर WhatsApp करें।

वर्ष: 03 अंक: 167 | नई दिल्ली, मंगलवार 15 जुलाई 2025 | मुल्य: 2 रुपया, पृष्ठ: 8 | DELHIN/2022/85289

ईएसआईसी ने अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण हेतु आरंभ की स्वर्णिम कल्ल्ल याणकारी SPREE-2025 योजना

1 जुलाई से 31 दिसम्बर, 2025 तक पंजीकरण कर और पाएं निरीक्षण और पूर्व देनदारियों से चिंता से मुक्तिः साहिल अग्रवाल

नई दिल्ली,टाउनहॉल टाइम्स न्यूज नेटवर्क।। उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दिल्ली के उप क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) साहिल अग्रवाल के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की शिमला, (हि.प्र) में केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई 196वीं ईएसआई निगम बैठक में ह्यनियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना रढफएए-2025 को मंजूरी मिलने के बाद ईएसआई ने इस योजना को 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए लागू किया है। ईएसआईसी की इस स्वर्णिम कल्याणकारी योजना के तहत पंजीकृत किए जा रहे प्रतिष्ठानँल्ल निरीक्षण और पूर्व देनदारियों से मुक्त हैं। पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई निरीक्षण या पिछले रिकॉर्ड की मांग नहीं मांगा जाएगा। उप निदेशक प्रभारी के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुमोदित नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना 2025, ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से एक विशेष स्वर्णिम पहल है। यह योजना अपंजीकृत नियोक्ताओं और संविदा और अस्थायी सहित सभी कर्मचारियों को निरीक्षण या पिछले बकाये की बाध्यता के बिना नामांकन करने का एक अवसर प्रदान करती है। यह योजना ऐसे अपंजीकृत प्रतिष्ठिनों जैसे -औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल और रेस्टोरेंट, रोड मोटर ट्रांस्पोर्ट प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल एवं क्लीनिक, नगर निगमों के ठेका/कैजुअल कर्मचारी, दुकानें व शोरूम, सिनेमा हॉल, अखबार व मीडिया संस्थान, निजी स्कूल व कॉलेज, ठेके पर, अस्थायी और दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले इत्यादि के नियोक्ता जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी या श्रमिक कार्यरत हैं, वे अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा तथा एमसीए पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की शुरूआत 24 फरवरी, 1952 से दिल्ली और कानपुर से एक साथ हुई थी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम संगठित क्षेत्र के सभी बीमांकित व्यक्तियों और परिवारजनों को निरंतर सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं सुलभ करा रहा है। 1 जनवरी, 2017 से 21000/-वेतन/मजदूरी पाने वाले समस्त कामगारों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बीमांकित व्यक्ति और उनके आश्रितजन चिकित्सा हितलाभ, मातृत्व हितलाभ, अपंगता हितलाभ, बीमारी हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ, अंत्येष्टि व्यय, राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना इत्यादि का लाभ उठा सकते हैं।